



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012020-215146  
CG-DL-E-04012020-215146

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67]  
No. 67]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2020/पौष 13, 1941  
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2020/PAUSHA 13, 1941

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2020

**का.आ. 69(अ).**—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री अमित खरे, सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में अगले आदेशों के होने तक अथवा श्री अमित खरे के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव का पदभार धारित करने की तारीख तक, जो भी पहले हो, श्री आर. सुब्रह्मण्यम के स्थान पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 7-3/2019-यू1(ए)]

कामिनी चौहान रतन, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT****(Department of Higher Education)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd January, 2020

**S.O. 69(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-Section (3) of Section 5 read with clause (c) of Sub-Section (1) of Section 6 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri Amit Khare, Secretary, Department of Higher Education in the Ministry of Human Resource Development as Member of the University Grants Commission until further orders or till such time Shri Amit Khare occupies the post of Secretary, Department of Higher Education in the Ministry of Human Resource Development, whichever is earlier, vice Shri R. Subrahmanyam.

[F. No. 7-3/2019-U1(A)]

KAMINI CHAUHAN RATAN, Jt. Secy.